RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 17.6.2017
Page No. 1, Size:(19.78)cms X (14.55)cms.

आधार को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला

हर खाते का आधार जरूरी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

सरकार ने बैंकों में खाते खोलने और 50000 रुपए या उससे अधिक के लेन-देन के लिए आधार कार्ड संख्या और पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया है। आधार संख्या व्यक्ति की जैविक पहचान से भी जोड़ी गई है।

राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या को 31 दिसम्बर, 2017 तक जमा करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते क्रियाशील नहीं रहेंगे। सरकार ने 2017-18 के बजट में पहले ही आधार को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ जोड़ने को आवश्यक बना दिया था, ताकि लोग कर से बचने के लिए एक से ज्यादा पैन कार्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकें। धन-शोधन रोधी (रिकार्ड का रखरखाव) रोकथाम नियमावली, 2005 को संशोधित कर जारी की गई अधिसूचना में व्यक्तियों, कंपनियों या भागदारी कंपनियों द्वारा 50000 रुपए या उससे अधिक के लेन-देन के लिए आधार के साथ पैन नंबर या फार्म नंबर 60 देना अनिवार्य बनाया गया है।

सरकार ने बैंकों में खाता खोलने और 50000 रुपए या उससे अधिक के लैन-देन के लिए आधार कार्ड संख्या और पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया है

सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या को 31 दिसम्बर, 2017 तक जमा करने को कहा गया है

ऐसा नहीं करने पर उनके खाते क्रियाशील नहीं रहेंगे

2017-18 के बजट में आधार को पैन के साथ जोड़ने को आवश्यक बना दिया गया था, ताकि लोग कर से बचने के लिए एक से ज्यादा पैन कार्डों का इस्तेमाल नहीं कर सकें

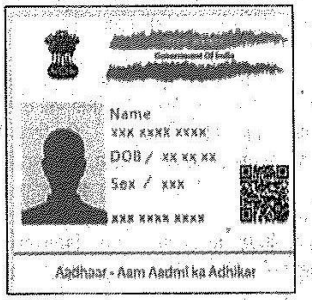

सख्त नियम : नए नियमों के अनुसार, ऐसे खाते उसी शाखा में खोले जा सकते हैं जहां कर्मचारी उसकी निगरानी कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि विदेश से ऐसे खातों में भेजे न भेजे जाएं। उन खातों में महीने और साल में लेन-देन की निर्धारित सीमा का पालन हो तथा बैलेंस का उल्लंघन न हो। ऐसे खाते शुरू में 12 महीने तक चालू रहेंगे और उसके बाद यदि खाताधारक इस बात का सबूत देता है कि उसने आधिकारिक वैध सत्यापन दस्तावेज के लिए आवेदन किया है तब उसे और 12 महीने का वक्त दिया जा सकता है।

छोटे खातों की होगी निगरानी

नियमों में कहा गया है, 'छोटे खाते की निगरानी की जाएगी और जब भी यदि धनशोधन या आतंकवाद के वित्त पोषण या अन्य किसी बड़े जोखिम परिदृश्य का संदेह होगा तो दावे की पहचान आधिकारिक वैध दस्तावेजों की पेशी कर की जाएगी।' संशोधन में एक जून से व्यक्तियों, कंपनियों या भागदारी कंपनियों द्वारा 50000 रुपए या उससे अधिक के लेन-देन करने पैन या फार्म नंबर 60 के साथ आधार का उल्लेख करना आवश्यक बनाया गया है। यदि खाता खोलने के समय आधार क्रमांक नहीं होगा तो आवेदक को आधार के लिए किए गए आवेदन का सबूत दिखाना होगा और खाता खुल जाने के छह महीने के अंदर आधार क्रमांक जमा करना होगा।